

प्रेसित,

M/s Kamdhenu City Homes Builders Pvt. Ltd.

Dra. Mr. Paramjit Singh Sindhu S/o Mr Hamek Singh Sandhu
S.B.I. Hill View Enclosure, Manpita Teeku Jamshedpur.

विषय : रस्ते नज़ारा पासिंट कॉम्पनी के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अपाक द्वारा प्लॉट संख्या) 1524, 1526, 1530, 1528, 1525, 1527, 1531 (पुरना) 720633721 खाता नं. (नया) 178, 182 (पुरना) 48, 52 भौजे कुलपतींगा थाना स० 130 कुल रक्वा 2118.91 M² होल्डींग न० 113/15-16 पर भवन निर्माण हुत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित बूँदडों के बारे में अंचलधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 210 दिनांक 23.02.2015 आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 255/एडीए दिनांक 26.03.2015 एवं कार्य पालक अभियंजा आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 421 दिनांक 203.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हुत आपत्ति नहीं की गई है एवं अन्य किसी विषय द्वारा अधिग्रहित नहीं है। भूमि का सत्यापन श्री डेविड औडेंया कर्नीय अभियंता द्वारा किया गया है। भवन परमिट शुल्क औन्त लंबर सेस जमा कर दी गई है। इस नवन प्लान के अनुज्ञासित अभियंता श्री अनुप कुमार जिनका निवासन न० AMC-E/01 है। जमीन के कार्यजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मार्णवी कॉर्प दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, खण्ड जाँच एवं तकनीकी जाँच श्री वर्लन एवं पाण्डेय सहायक अभियंजा (संविदा पर नियुक्त) एवं श्री डेविड औडेंया कर्नीय अभियंता नारा परिशद आदित्यपुर की गई है जांचप्राप्त भवन न्यान पारित करने हेतु अनुरोद्धरा की गई है। तकनीकी पदाविकारियों के अनुमान अंचलधिकारी, गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलरदूष Block-A. Gr. Floor (Parking) + 1st Floor to 4th Floor (Residential), Block-B Gr. Floor (Parking) 1st Floor to 4th Floor (Residential) (Unit 48) के भवन प्लान की अध्ययनिक स्थीरूपता निम्न जांकों पर दी जाती है।

- 1 भविष्य में दर्द द्वारा जात है कि भूमि का अन्तर्व एवं खत्वाइकार गलत है तो यह अदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद = किसी भी प्रकार की छोड़कृति का दावा नान्य नहीं होगा। किसी भी रतर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार के द्वारा लाभकारी पदाविकार को सुरक्षित नहेगा।
- 2 भवन प्लान की र्टैकृति से अन्दरक का प्रश्नगत भूमि पर भू - स्ट्रैक्ट्रिंग का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
- 3 भवन निर्मान से पूर्व झारखण्ड अपार्टमेन्ट एक्ट की धर 7.2(a) के तहत खामिय रांबधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा खाम प्राधिकार से संबधित अनुमति प्राप्त कर लें। उसके संतोषप्रद होने के उपरांत ही यह आदेश मात्र होगा।
- 4 रमेश्वर भवन मन्दिरक के अनुरूप ही भवन निर्मान कला सुमित्रित करें विना विधित र्टैकृति के सहरना/प्रकृति में विद्यलन नहीं करें। विद्यलन की विधिति ने दिए गए दैर्घ्यों के प्रावधानों के अनुसार उस भवन ऊपरांति किया जा सकता है तथा संबधित अनुज्ञापित अभियंजा श्री इस कार्ट की कर रहे हैं, उन्हें काले सूची में डाला जा सकता है।
- 5 भवन निर्मानकार्ता संवधित भू-न्यानी तथा अनुज्ञापित अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गय है उनका दायित्व होगा कि र्टैकृति भवन प्लान के अनुरूप ही कार्ट करें। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में जर्दपालक पदाविकार का अधिकार दूर करेगा कि ये न्यौकृत भवन प्लान में न्यौकृत करें।
- 6 निर्मान की अनुरूप झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/नियन्त्रित यानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्मान कार्ट एवं संरचन के सभी लक्षकरण एवं इसपर सुख का दरित्र संवधित अनुज्ञापित अभियंता के सभ-न्यानी की भी होगी।
- 7 भवन निर्मान में भवन के फ्रिंग 3.82 to 5.18 मी० Rear 1.8 to 4.54 मी० Side 1 - 1.51 to 5.06 मी० Side 2- 2.69 to 4.26 मी० Distance between Block A & B - 4.65 मी० छोड़कर भवन का निर्मान करना होगा तथा भवन की जाँचाई स्वीकृत 14.70 मी० Over all Ground Coverage 59.70 % FAR Over all 2.31 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्मानकार्ता को भवन प्लान में दर्शाई गये दोनों एवं सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक स्वयं से करना होगा। भवन के रासाने छोड़ गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पलिक स्ट्रैट के लिये प्रयोग में लाया जा सकता। इसपर किसी भी प्रकार क निर्मान कार्ट अवैध होगा। नियन्त्रित भवन प्लान के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित खाल छोड़ना अनिवार्य होगा।
- 8 रासाना/नारा परिस्त द्वारा को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा नकार का उपयोग मुआज्जा भू अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भूमान कर इसे अज्ञन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य स्तरक तथा भवन खल के बीच पहने दले भूमि का अधिकार किया जाना है तो साथम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्मान कार्ट करें तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण उत्तराधीय पर्यावारी सुखा, स्वदं प्राधिकारको से अनुमति प्राप्त कर साथम उपस्थिति प्रत करना अनिवार्य होगा।
- 9 नगर परिषद के निर्देशनुसार पानी निकारी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवासित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दर्शित निर्मानकर्ता तथा अनुज्ञापित अभियंजा आवास नाली की व्यवस्था अन्तर्गत करनी होती है। किसी भी वर्तिति के नाला पानी की नियन्त्रित उक्त नाले में नहीं देंगे तथा उत्तराधीय स्तरक नाला नाले का व्यवस्था व्यवस्था बर्ती है।
- 10 जल उपतकन पत्र दस्त दिनों के अन्दर करें इनका अनुपलन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त मना जायेगा निर्मानकर्ता को सम्बन्धित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं कर्त्ती होगी परन्तु डॉर दरिए नहीं बर्ती होगी। निर्मानकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था बर्ती है। दैर्घ्य वैशिष्ट्य नहीं करने के व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।
- (A) Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S D
- 11 मुख्य के सम्म छारखण्डीयारी का निर्मान, लाईटिंग प्लाट की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्मान तथा दैर्घ्य अनिवार्य रूप में भवन उपस्थिति तथा 3.00लीटर्स/प्रमिट नियन्त्रित नाला मानवीय द्वारा लाया जाना व्यवस्था अपार्टमेन्ट के द्वारा प्राविकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हुए करना अनिवार्य होगा।
- 12 निर्मान कार्ट के अन्तर्गत नाला नाले की सूखना नगर परि एवं अदित्यपुर अन्यतम जल की होगी न्यौत्य/स्वैच्छिक व्यवस्था द्वारा उत्तराधीय अनुज्ञापित अभियंजा के स्तर से कार्ट का नियन्त्रित प्रतिवेदन 2 नाले के अन्तराल पर उत्तराधीय अनिवार्य होगा। इसका अनुरूप नहीं करने पर यह स्थीरूपता सह दर दिया जायेगा।

13. निर्माणकर्ता को निजी टूराफस्सर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्यनि एवं प्रदूषण रहिल पर्याप्त बातों का जेनरेटर लगाना होगा।
14. अमेरिकन नियम के पांच 180 दिनों 15.04.15 के द्वारा दिये गये नियमों का अनुपालन करना होगा। साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सारकर के द्वारा रामबाल पर नियम पालन से के द्वारा कोई नियम नियंत्रण प्रसंसित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भवन नियंत्रण के साथ-साथ निम्न अभियासक सुविधाएं देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुपाल अभियासक सार्वानु व्यवस्था तथा नियमों करना अनिवार्य होगा।
15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावसान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। तथा ही नियम प्रारम्भिक व्याप नियंत्रण के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्थानी एवं विल्ड करें तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/फ्रेंडों को इसकी दखल दें।
17. निर्माणकर्ता / संरक्षण / रक्षकारी को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखण्ड नगर पालिका विभाग वैगतीन, JUA CDP तथा अन्य सुरक्षा दस्तावेजों/पालनीयों/पालनीयों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(i) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय परो उपलब्ध करना अनिवार्य होगा यथा नियम डरटीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(V) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से ननी बनाया जायेगा, जो राङ्क पर, राङ्क के ऊपर सुलता हो।
18. भवन की दूरी मार्गांश इन्स्ट्रक्ट्रक्ट रूल का अनुपालन करते हुये बोल्टेज लाइन से न्यूताम दूरी का प्रावसान रखना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण खाल पर एक थोर लगाना होगा, जिसपर भूमि भालिक का नाम, विल्ड का नाम, पूर्ण पता एवं दूसास संग, प्लॉट का बैकफल, प्लॉट में कुल नियमित बैकफल, नगर परिषद द्वारा नवशा खीकृत करने की तिथि एवं भवन खाल संख्या, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं प्लॉट स्थीकृत भवन खाल का नवशा थोर पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा खीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल वी अनुपालन एवं जल अनुपाली के लिए लगाए जाने वाले संयोगी/उपरकारी के विवरण सहित) रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही फ्रेंडों को सौंपैट भवन खाल की अधिकारियत प्राप्ते उपलब्ध करानी होगी।
20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
21. नियमानुसारी / संरक्षण / रक्षकारी को झारखण्ड आपरेंट सम्पति नियमांश एवं सामाजिक अधिनियम 2011 के अनुपाल विहित सुविधाएं नियमित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की संजीवी की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
22. मानवीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विधायित भूमि / संरक्षण भूमि/आदिवासी खाता अव्यावहारी वर्षा अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु विजित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु संख्यन्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन खाल रद्द माना जाएगा।
23. विशेष राय के अनुसार उक्त भूमि के संतानीकार अशारी का अधिकार दखल, औरामपुर जारकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तारण हेतु सुरक्षा प्रावसानों का अनुपालन किये जिना हस्तारण, पूर्ण पता वन भूमि, रास्तारी भूमि, Water Bodies रास्तों विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश खत रख जूही जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुपाली आगराकालामुरा तथा नियमानुसार सामान प्राविधिकर से प्राप्त करना सुनियंत्रित करें। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुपाली खत रख जायेगा। सरकारी/शेयरी तात्पात्र या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार बैत्र में) उत्पन्न होने पर खीकृत्यादेश खत निरस्त समझा जायेगा।
24. नियमित नियम के राय के अनुसार किसी प्रकार के विवाद का नियादान संवित्रित व्यक्ति रख करें इसके लिए प्राविधिकर किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्य को पूर्णाकर भवन संवित्रित पर्याप्त प्राप्त किया गया है तो किसी कारण बताये नगर परिषद आदित्यपुर वो यह अधिकार देना होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर दें।
25. भविष्य में सरकार द्वारा या मानवीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के सरदानालक्षण परिषिद्ध आदि के सब्द में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्राप्ती होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश खत निरस्त हो जायेगा।
26. भवन में समुद्रित कहना का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
27. शेयरकर एवं कार्यालय कर सबवित आवश्यक रसि रस्तम प्राविधिकर को जमा करना होगा। नियमित सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
28. परिषित नियम होने के तीन साल के अन्दर भवन नियमित कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूर्ण अनुपाली प्राप्त करना होगा। नियमित लिए विभिन्न शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त खाल के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन अवैदक के द्वारा नियम जायेगा।
29. भवन नियम से पूर्ण डेवलपर्स खाल को पंजीकृत कराकर उपलब्धित करना अनिवार्य होगा।
30. भवन नियम के क्रम में यह अनुज्ञाप्राप्ती अनुपाली को संबोधित करना होता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घण्टे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के रास्ता आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घटने के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश यिना नोटिस दिये किसी भी रामबाल एवं संबद्ध व्यवस्था के अनुपालन नहीं करना जायेगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द कर दिया जायेगा एवं संबद्ध भवन नियमिता पर विविध सम्बन्धित कार्यालय अधिकारी अनुपाली को देना अनिवार्य होगा।

22.5.15
विवेन
द्वारा दिया गया नियमिता

22.5.15
कार्यालय के अधिकारी
नगर परिषद, आदित्यपुर

झांपांक 691

प्रतिलिपि : श्री अनुप कुमार अनुज्ञाप्राप्ती अनुपाली को सूचनाएं प्रेतित। नियम दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासादिक नियमित जलोदेवन सामय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

22.5.15
अ.व.
कार्यालय के अधिकारी
नगर परिषद, आदित्यपुर